

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdsheikhpara20@gmail.com

पत्रांक.....1620...../

शेखपुरा, दिनांक.....07/10/2024...../

प्रेषक,

ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

श्री पंकज कुमार (संवेदक),
पिता-स्व0 परमानन्द सिंह,
ग्राम-माफी, टोला-भोजपुर, पोस्ट-वारिसलीगंज,
थाना-वारिसलीगंज, जिला-नवादा।
पिन-805130, मो0 नं0-9334457321, 7870659000.

विषय:-

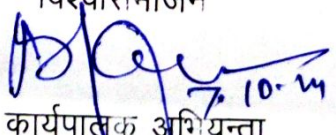
शीर्ष-Old MR योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ शेखपुरा-सिकन्दरा पथ से सियानी पथ में अनुरक्षण कार्य कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि शीर्ष- Old MR योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ शेखपुरा-सिकन्दरा पथ से सियानी पथ का स्थल निरीक्षण विभाग द्वारा शेखपुरा जिले के लिए नामित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 04.10.2024 को किया गया एवं निरीक्षणोपरान्त पथ को असंतोषजनक (Unsatisfactory) श्रेणी में रखा गया, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं कराया जा रहा है। आपके द्वारा किये गए एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराना आपकी पूर्ण जबाबदेही है।

अतः कार्यहित में निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर संबंधित कनीय अभियन्ता के देख-रेख में सभी आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें, अन्यथा वाध्य होकर बिहार टिकेदारी पंजीकरण नियम (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम-11 के आलोक में आपके निबंधन को काली सूची में डालने एवं निबंधन को निलंबन हेतु अनुशंसा भेजने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा